

# फर्द अहकाम

क्रमांक 11/2021

बनाम भोगल राव

आलय संहायक कलमर फोर ड्रेक फलवा रावका 6

ख्या 11/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/11/21	<p>पञ्जावली पैरा ड्रॉ/ वकील उग्रम पक्ष उग्रम वकील उग्रम पक्ष की छुट्टी व छुट्टी कायम पर एडवोकेट डिकरे 26/11/23 को सुनी गई थी तथा पञ्जावली वाले को देरा के सिविल जज के समक्ष कोर्ट में कोर्ट के लिए जाकर सुनाया नहीं गया। एडवोकेट सुने एक गेट से अधिक का समय से जाने के कारण कोर्ट सुन वकील उग्रम पक्ष की मजदूरी के सुनी गई जो जारी रहे पञ्जावली वाले कोर्ट से कोर्ट 20/11/21 को पेट है</p>	
30/11/21	<p><b>पञ्जावली पैरा ड्रॉ. अतिवक्ता अब एडवोकेट/ कार्य का अधिकार करने के लिये पूर्वानुमति दिनांक 1-2-21 से</b></p>	
1-2-21	<p>पञ्जावली पैरा ड्रॉ/ वकील उग्रम पक्ष उग्रम वकील उग्रम पक्ष की मजदूरी एडवोकेट सुनी गई पञ्जावली का अतिवक्ता कोर्ट तथा एडवोकेट से प्राप्त छुट्टी पर मजदूरी करने के उपरांत वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। कोर्ट वादी वाद को सुनाए के आदेश पर स्वीकार कर वाद में अतिवक्ता कोर्ट को जारी की जाती है किन्तु कोर्ट न सिर्फ कोर्ट में लिखी जाकर सुनी किन्तु कोर्ट में सुनी पञ्जावली कोर्ट सुनाए के आदेश से कोर्ट है</p>	

सहायक कलमर (फोर ड्रेक)  
जयपुर